

Form No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर मुकाम श्रीविजयनगर अनवानु रेशमा बाई बनाम मिन्दो बाई आदि क्रिस्म मुकदमा 188-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद संख्या 190/2013

तारीख हुक्म जारी करने की	कार्यवाही मय इगशियलस जज	हुक्म तारीख व तामिल
10.12.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी को अप्रार्थीगण संख्या 02 की तलवी/रजिस्टर्ड एडी से करवाने हेतु न्यायालय द्वारा 22.. अवसर प्रदान किये गये। तलवी/रजिस्टर्ड एडी से करवाने हेतु बार-बार न्यायालय द्वारा हिदायत दी गई। वकील वादी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 02 की तलवी रजिस्टर्ड से करवाने की हिदायत देने के बावजूद आदिनांक तक तलवी नहीं करवाई गई है। रजिस्टर्ड तलवी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस/सम्मन पेश नहीं किये गये है। वादी न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.05.2013 से प्रतिवादीगण के सम्मन/नोटिस देने में विफल रहा है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 09 नियम 05 के तहत सम्मन/नोटिस देने में वादी/प्रार्थी के असफल रहने के परिणामस्वरूप इसी स्तर पर प्रीरिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय आदिनांक 10.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>शकुंतला उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर।</p>	

